न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 15/2017 (225 आरटीए) कमलादेवी बनाम भभूतराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00234)

श्रीमती कमलादेवी पत्नी दीनानाथ पुत्री बीजनाथ जाति नाथ, निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 भभूतराम पुत्र शेराराम,

2 मलाराम पुत्र शेराराम के कायम मुकाम

2/1 कमला पुत्री मलाराम

2/2 मीरा पुत्री मलाराम,

2/3 लीला पुत्री मलाराम,

2/4 कौशल्या पुत्री मलाराम,

2/5 संतोष पुत्री मलाराम,

2/6 मंगलाराम पुत्र मलाराम,

2/7 पुखराज पुत्र मलाराम

जातियान सीरवी निवासीगण बेरा काबल, हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

3 दईराम पुत्र केसाराम के कायम मुकाम

3/1 दाखूदेवी पत्नी दईराम,

3/2 मोहनलाल पुत्र दईराम,

3/3 कल्याणसिंह पुत्र दईराम,

3/4 माधवराम पुत्र दईराम,

3/5 सुशीला पुत्री दईराम,

3/6 इन्द्रा पुत्री दईराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा, काबल, हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

4 जगदीशराम पुत्र तुलछाराम

5 गोविंदराम पुत्र तुलछाराम,

6 किनू पुत्री तुलछाराम,

7 पानी पत्नी तुलछाराम,

8 हरीराम पुत्र पूनाराम,

9 राजूराम पुत्र पूनाराम,

9ए तुलछी पत्नी पूनाराम,

9बी इन्द्रा पुत्री पूनाराम,

10 केनाराम पुत्र लालाराम,

11 गजाराम पुत्र लालाराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12 हिणगारी पुत्री लालाराम,
13 दाखूड़ी पत्नी लालाराम
जातियान सीरवी निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2008 एवं डिक्री दिनांक 27.02.2017 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा अंतर्गत राजस्व वाद सं. 51/2007

उपस्थित :
1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2 रेस्पो सं. 1, 2/1 से 2/7, 4 से 9ए, 10 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पो. सं. 3/1 से 3/6 व 9बी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 27.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व वाद सं. 51/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 28.05.2008 एवं 27.02.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 51/2007 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नं. 902/1 रकबा 8 बीघा आई हुई है जिसकी खातेदारी रेस्पो. सं. 1 से 3 तथा तुलछाराम व लालाराम की थी। खातेदार स्पोडेंट सं. 1 से 3 तथा तुलछाराम व लालाराम ने दिनांक 22.07.1985 को खसरा नंबर 902/1 रकबा 8 बीघा उत्तरी दिशा की भूमि को जरिए बेचान अपीलांट की माता अणचाई पत्नी बींजनाथ व पिता बींजनाथ पुत्र हरनाथ को कर दिया। इस भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपीलांट की माता अणचाई व पिता बीजनाथ के नाम दर्ज कराने के लिए रेस्पो. सं. 1 से 3 तथा तुलछाराम व लालाराम ने दिनांक 22.07.1985 को अपीलांट की मां अणचाई व बींजनाथ से 8,800 रु. लेकर उसके पक्ष में बेचाननामा लिख दिया एवं अपीलांट के माता–पिता को भौतिक रूप से कब्जा सुपूर्द कर दिया।

27/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट के पिता बीजनाथ ने उक्त भूमि में अपना पक्का रहवासीय मकान बनाया और उक्त भूमि में कुंआ खोदकर उस पर विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया और भूमि में सिंचाई करने लग गए लेकिन अपीलांट के पिता अनपढ़ होन एवं कानून की जानकारी नहीं होने के कारण बेचाननामा पंजीयन नहीं करवा सके तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की भूमि को दर्ज नहीं करवा सके। अपीलांट की माता अणचाई का देहांत दिनांक 27.02.2005 को तथा अपीलांट के पिता बीजनाथ का देहांत दिनांक 24.01.2007 को हो गया तो अपीलांट ने अपने पिता बींजनाथ द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नंबर 902/1 रकबा 8 बीघा का बेचाननामा की नकल लेकर हल्का पटवारी के पास गई और उक्त बेचाननामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन स्वीकृत कराने हेतु कहा गया तो हल्का पटवारी ने उक्त बेचाननामा को पंजीकृत नहीं होने के कारण नामांतरकरण स्वीकृत करने से मना कर दिया। अपीलांट को कहा कि आप न्यायालय से आदेश करवाकर लाओ तभी आपके नाम म्यूटेशन स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलांट ने उपरोक्त खरीदशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि की घोषणा कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के समक्ष दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण को जबाब पेश करने के कई अवसर दिए गए व साक्ष्य भी पेश नहीं की। जबकि वादी की ओर से साक्ष्य पेश की गई व दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराया गया व अपने दावे को सिद्ध किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी का दावा खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 28.05.2008 एवं 27.02.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना नहीं दी गई जिससे अपील समय पर पेश करने में असफल रही। पक्षकार के अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला है और उसे कानून संबंधी ज्ञान नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा का खसरा नं. 902/1 रकबा 8 बीघा अपीलांट के माता पिता ने रेस्पोडेंट से खरीद कर लिया था और रेस्पोडेंट ने अपीलांट के माता पिता को कब्जा सुपूर्द कर दिया था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट ने उक्त भूमि में अपना पक्का रहवासीय मकान बनवाया और बिजली कनेक्शन प्राप्त किया और सिंचाई आदि कार्य कर रहे हैं। अभी दो माह पूर्व रेस्पोडेंट्स अपीलांट की भूमि पर आए और अपीलांट की भूमि के चारों ओर की गई तारबंदी को तोड़ना शुरू किया तो रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट से कहा कि भूमि खाली करो उक्त भूमि हमारी है यह सुनकर अपीलांट को आश्चर्य हुआ तब अपीलांट ने मौके पर पुलिस बुलाई और दावा विचाराधीन होना बताया जिस पर रेस्पोडेंट मौके से चले गए। इसके अलावा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने यह अंकित किया है कि अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि दावा 28.05.2008 को खारिज हो चुका है। अपीलांट को दिनांक 07.09.2016 को निर्णय की नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त हुई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी नहीं की थी इस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में डिक्री तैयार कर जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके उपरांत दिनांक 27.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री जारी की। इसके पश्चात दिनांक 01.03.2017 को उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा से डिक्री की नकल प्राप्त हो सकी व उसके बाद बिना देरी के अपील पेश कर दी गई अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को मैरिट पर निर्णित करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने वादी का दावा खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के दावे को विधि सम्मत नहीं मानने में भूल की गई है, वादी ने दावे को अपने साक्ष्य एवं सबूतों से साबित किया है कि उसकी माता अणचाई व पिता बीजनाथ ने उपरोक्त भूमि को रेस्पोडेंट से खरीद किया है और रेस्पोडेंट ने भूमि की प्रतिफल की राशि को प्राप्त कर कब्जा अपीलांट की माता अणचाई बाई व पिता बीजनाथ को सुपूर्द कर दिया जो कब्जा सुपूर्द करना और भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना रेस्पोडेंट की जानकारी में है। जो कब्जां 31 वर्षों से ज्यादा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलांट भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा खारिज करने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, शपथपत्र और उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूतों को नहीं मानने में भूल की गई है, वादी की ओर से दस्तावेजी सबूत के तौर पर प्रदर्श–1 बेचान लिखापढ़ी, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती अणचीदेवी, प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र बींजनाथ, प्रदर्श–4 प्रार्थना पत्र बाबत रजिस्ट्रेशन, प्रदर्श–5 घोषणा पत्र अंडर सेक्शन 17(2) बी, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत 2053 से 56, प्रदर्श–7 व 8 विद्युत कनेक्शन की सूचना का पत्र, प्रदर्श–9 एल.फार्म, प्रदर्श–10 केपेसटर लगाने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श–11 मांग पत्र, प्रदर्श–12 रसीद, प्रदर्श–13 एग्रीमेंट, प्रदर्श–14

6/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एस्टीमेट रिपोर्ट, प्रदर्श–15 भार बढ़ाने हेतु जारी सूचना पत्र, प्रदर्श–16 एल फार्म, प्रदर्श–17 कनेक्शन आदेश, प्रदर्श–18 एस्टीमेट रिपोर्ट, प्रदर्श–19 भार बढ़ाने का मांग पत्र, प्रदर्श–20 भार क्षमता बढ़ाने का प्रार्थना पत्र, प्रदर्श–21 एल–फार्म आदि को प्रदर्शित करवाया है। विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का स्पष्ट तौर से साबित है। फिर भी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नहीं मानन का कोई कारण निर्णय में नहीं बताकर दावा खारिज करने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया, उक्त राजस्व वाद में में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं हुआ, न ही साक्ष्य का शपथपत्र एवं दस्तावेजी सबूत के तौर पर प्रदर्श–1 से 21 तक पेश किए गए जिसको प्रतिवादीगण की ओर से इन्कार अथवा खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बेचान लिखा पढ़ी के दस्तावेज पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार नहीं था तथा वादी का साक्ष्य का शपथ पत्र तथा दस्तावेज आदि की साक्ष्य अखण्डित रही है। जब वादी की साक्ष्य अखण्डित हो गई तो वादी का दावा मात्र डिक्री किए जाने योग्य था, इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा खारिज करने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के दावे को विधि सम्मत नहीं मानने में भूल की गई है। स्वीकृत रूप से प्रदर्श–1 बेचान लिखा पढ़ी 31 वर्ष पुरानी है और मौके पर कब्जा अपीलांट का है जो रेस्पोडेंट की जानकारी में हैं जिसके बाबत विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि 31 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज प्रमाणित हो जाने पर उसके रजिस्टर्ड नहीं होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम हो जाती है जब तक कि उसका सीधे साक्ष्यों द्वारा खण्डन न हो। द्वितीय रेस्पोडेंट द्वारा उक्त दस्तावेज के फर्जी होने का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है, न ही बेचान लिखापढ़ी करने से इन्कार किया है, जिसके असहमत होने का कोई आधार नहीं हैं, इस कारण वादी का दावा डिक्री किए जाने योग्य था फिर भी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वादी का दावा प्रमाणित नहीं होने के आधार पर खारिज करने में भूल की गई है। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2009(1) आर.आर.टी. 594 पेश की। अपीलांट के अधिवक्ता ने अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर बिलाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2008 एवं अंतिम पर्चा डिक्री दिनांक 27.02.2017 को निरस्त करने का आदेश फरमावें तथा वादी का दावा डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नंबर 902/1 रकबा 8 बीघा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाने का आदेश फरमावें व स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे।

5 रेस्पो सं. 1, 2/1 से 2/7, 4 से 9ए, 10 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए हैं विश्वसनीय

7/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं हैं। दावे का निर्णय 28.05.2008 को हो चुका था। तथा अपील 02.03.2017 को पेश की है। जब दावा स्वयं कमलादेवी अपीलांट ने किया व दावा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णित हुआ है तो लगभग 9 वर्ष की देरी से अपील पेश की गई है। अपीलांट ने कथन किया है कि अभी दो माह पूर्व रेस्पोडेंट्स अपीलांट की भूमि पर आए और अपीलांट की भूमि के चारों ओर की गई तारबंदी को तोड़ना शुरू किया तो रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट से कहा कि भूमि खाली करो उक्त भूमि हमारी है तब अपीलांट ने मौके पर पुलिस बुलाने का हवाला भी दिया है। लेकिन अपीलांट ने उक्त घटना की दिनांक अंकित नहीं की है। अपीलांट को अनपढ़ बताया जा रहा है जबकि अपील में उसने हस्ताक्षर किए हैं अतः वह अनपढ़ नहीं है बल्कि पढ़ी लिखी है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि दावा 28.05.2008 को खारिज हो चुका है। लेकिन अपीलांट ने किस अधिवक्ता से कब संपर्क किया अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 07.09.2016 को निर्णय की नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त होना तथा डिक्री की नकल 01.03.2017 को उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा से मिलना अंकित किया है। दिनांक 07.09.2016 के बाद के तथ्य तो फिर भी सही प्रतीत होते हैं लेकिन दिनांक 28.05.2008 से दिनांक 07.09.2016 तक की 8 वर्ष की अवधि में अपीलांट ने नकल क्यों नहीं ली। नकल नहीं लेने का कोई औचित्य पूर्ण कारण अंकित नहीं किया है। यदि अपीलांट निर्णय दिनांक 28.05.2008 की नकल लेकर डिक्री जारी कराने का प्रयास करता व उसमें बिलंब होता तो फिर भी माना जा सकता था कि डिक्री बनने में बिलंब हुआ है लेकिन जब जानबूझ कर नकल नहीं ली है तथा अपील पेश करने में 9 वर्ष का बिलंब हुआ है तो इस बिलंब को माफ नहीं किया जा सकता। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपील की मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादी ने दावा अनरजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रावधान नहीं हैं। अपीलांट ने अपील में जो फोटोग्राफ्स पेश किये हैं उनसे यह पता नहीं पड़ता है कि ये फोटोग्राफ वादग्रस्त भूमि के हैं या नहीं अतः इनके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) 1100 पेश कर कथन किया कि अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वाद विधि द्वारा वर्जित माना जावेगा जो आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज योग्य है। अतः अपील को मैरिट पर भी खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री दिनांक 27.02.2017 को जारी की है। अतः अपील पेश करने की दिनांक 01.03.2017 से यह अपील अंदर मियाद है। रेस्पोडेंट का तर्क है कि दावे का निर्णय दिनांक 28.05.2008 को हुआ था व अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुआ था ऐसी स्थिति में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी थी। अपीलांट का कथन है कि उनके अधिवक्ता ने निर्णय दिनांक 28.05.2008 की जानकारी अपीलांट को नहीं दी। वह ग्रामीण परिवेश की महिला है एवं उसे कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से उसे निर्णय की जानकारी नहीं हुई लेकिन दिनांक 07.09.2016 को जिला अभिलेखागार से निर्णय की नकल लेने पर उसको जानकारी हुई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी नहीं की थी इस वजह से डिक्री जारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया व उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जिला अभिलेखागार से दावे की पत्रावली तलब की फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2017 को डिक्री जारी की जिसकी नकल लेकर अपीलांट ने मियाद अवधि में अपील पेश कर दी है अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। इस प्रकरण में यह न्यायालय अपीलांट के अधिवक्ता की बहस से पूर्णतया सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री जारी होने के बाद अपील मियाद अवधि में हैं। क्योंकि यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत मूल डिक्री की अपील है। जहां तक रेस्पोडेंट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी तो इस संबंध में धारा–5 के प्रार्थना पत्र का जबाव व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। केवल मौखिक बहस से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व शपथ पत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलांट को दिनांक 07.09.2016 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने के बाद अपने स्तर पर प्रयास करके अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं की ओर से डिक्री जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2016 को पेश किया। इस प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि अभी 10 दिन पहले प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर आए और वादी की भूमि के चारों ओर की गई तारबंदी को तोड़ना शुरू किया तो प्रतिवादीगण ने वादी वादी को कहा कि भूमि खाली करो, उक्त भूमि हमारी है, यह सुनकार वादी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और वादी ने मौके पर पुलिस को बुलाया और दावा विचाराधीन की बात बताई जिस पर मौके पर से प्रतिवादीगण चले गए वादी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और दावे के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि आपका दावा दिनांक 28.05.2008 को खारिज कर दिया गया तो वादी अधिवक्ता नारायणसिंह सोढा ने अधीनस्थ न्यायायल के रीडर से उपरोक्त पत्रावली का पता कराया तो मालूम हुआ कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली जिला कलेक्टर (भू.अभि.)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

जोधपुर कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है तो वादिया दिनांक 26.08.2016 को जोधपुर गई और अपने अधिवक्ता के मार्फत दावे की पत्रावली के बारे में पता कराया तो वादी के अधिवक्ता ने बताया कि दावा दिनांक 28.05.2008 को खारिज किया जा चुका है तो उसी दिनं 26.08.2016 को अपने अधिवक्ता के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 28.05.2008 को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 07.09.2016 को प्राप्त हुई तो जानकारी हुई कि राजस्व वाद में डिक्री पर्चा जारी ही नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2017 को डिक्री पर्चा जारी किया। अतः इस प्रकरण में दिनांक 07.09.2016 से दिनांक 27.02.2017 तक निर्णय की जानकारी होने के बाद अपील पेश करने में बिलंब हुआ है जो डिक्री जारी नहीं होने के कारण हुआ है। रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा भी इस बिलंब को कंडोन करने में आपत्ति नहीं की है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता की आपत्ति तो दिनांक 25.08.2008 से दिनांक 07.09.2016 तक की अवधि के लिए है। लेकिन जैसा कि पहले विवेचन किया जा चुका है कि जहां तक रेस्पोडेंट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी तो इस संबंध में रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र का जबाब व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। केवल मौखिक बहस से अपीलांट के धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व शपथ पत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला है। इस प्रकरण में अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताया है व रेस्पोडेंट भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे से इन्कार नहीं कर रहे हैं अतः यह मामला मियाद के तकनीकी बिंदु पर निर्णित करने के बजाय मैरिट पर तय करने योग्य पाया जाता है। अतः न्यायहित में धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 इस अपील को मैरिट पर तय किए जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा रेस्पोडेंट के द्वारा इस प्रकरण में क्या–क्या व कैसे प्रतिरोध किया गया है पर भी विचार किया गया।

इस प्रकरण में दावा दिनांक 06.08.2007 को अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज किया गया तथा रेस्पोडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। तथा प्रतिवादी सं. 1, 2, 8, 9, 9ए, 9बी, 10, 11, 12, 13 की ओर से वकील श्री माधवसिंह राठोड़ ने वकालतनामा व आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. पर कोई आपत्ति नहीं किए जाने के कारण स्वीकार किया गया व प्रतिवादी सं. 1, 2, 8, 9, 9ए, 9बी, 10, 11, 12, 13 के विरुद्ध किए गए एकपक्षीय आदेश वापिस लिए गए पत्रावली वास्ते जबाबदावा दिनांक 21.11.2007 के लिए नियत की गई। दिनांक 21.11.2007

2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाबदावे के लिए समय चाहा, प्रतिवादी के अधिवक्ता को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06.12.2007 को जवाबदावे के लिए नियत की गई। दिनांक 06.12.2007 को भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जबाबदावा हेतु पुनः समय चाहा, अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 19.12.2007 को नियत की। दिनांक 19.12.2007 को भी जवाबदावा पेश नही होने पर न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24.12.2007 को जवाबदावा हेतु नियत की गई। उसके बाद दिनांक 24.12.2007 व 28.12.2007 को अतिरिक्त अवसर दिए जाने के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.12.2007 को जवाब बंद किया गया उसके बाद पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादी की ओर से दिनांक 09.02.2008 को स्वयं वादिया का शपथ पत्र व दस्तावेज पेश किए गए। इसके अलावा वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। वकील प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने के कारण वकील वादी व वकील प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई। तत्पश्चात प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 28.05.2008 अपीलाधीन निर्णय एवं दिनांक 27.02.2017 को अपीलाधीन डिक्री जारी की गई। उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा काफी अवसर दिए जाने के बावजूद भी स्वेच्छा से दावे का कोई जवाबदावा पेश नहीं किया जाना व साक्ष्य पेश नहीं किया जाना पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की है उसमें वादीगण का दावा इस आधार पर खारिज किया है कि प्रस्तुत बेचान पंजीबद्ध नहीं हैं, पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। बेचान बावत बेचान करने वाले व खरीद करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ऐसी दशा में उनके वारिसान आदि के वारिसान आदि के बयान नहीं, यहां तक कि जबाबदावा आदि भी पेश नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में बेचान जिसका पंजीयन ही नहीं हुआ हो उसकी कोई मान्यता नहीं हैं। विद्युत संबंधी दस्तावेज पेश किए हैं उनके खसरा नंबर का कहीं पर उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा बेचान बाबत स्टांप पर लिखापढ़ी सन् 1985 की है तथा वादिया के पिता का देहांत 2007 में हुआ है। 22 साल तक वादिया के पिता द्वारा कोई कार्यवाही नही करवाने की बात विश्वसनीय नहीं हैं वादिया अपने वाद को प्रमाणित नहीं कर सकी है। अतः वादिया अपने वाद को प्रमाणित नहीं करने की अवस्था में दिनांक 28.05.2008 खारिज किया गया व डिक्री पर्चा जारी करने के आदेश दिए गए। इस प्रकरण में डिक्री पर्चा दिनांक 27.02.2017 को जारी की गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि बेचान पंजीबद्ध नहीं हो सका क्योकि वादिया के पिता ने उक्त भूमि 8800 रु. में खरीदकर भूमि का कब्जा भौतिक रूप से प्राप्त कर काबिज हो गए बेचान की लिखा पढ़ी उस

2/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समय के स्टांप ड्यूटी के हिसाब से 600 रु. पर लिखा जाकर बेचानकर्ताओं के हस्ताक्षर अंगूठे निशान करवा दिए व वादिया के पिता अनपढ़ होने के कारण उक्त बेचान की लिखापढी को बेचान रजिस्ट्री समझ कर उक्त लिखा पढ़ी को अपने बक्से में रख दिया। उक्त लिखा पढ़ी बेचान को अपीलांट/वादिया ने अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रदर्शित करवाया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2009(1) आर.आर. टी. 594 पेश कर निवेदन किया कि यह विक्रय के लिए केवल एग्रीमेंट नहीं हैं बल्कि विक्रय पत्र है जैसा कि बेचाननामे की भाषा से व स्टांप ड्यूटी 600रु. के हिसाब से 600 रु. के स्टांप पर लिखा होन से स्पष्ट है। केवल वादिया के पिता के अनपढ़ होने की वजह से व उसे रजिस्ट्री समझ कर रख लिया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने संबंधित दावे में 30 वर्ष से अधिक पुराने अपंजीकृत विक्रयपत्र के संबंध में फाइंडिंग दी है कि स्वीकृत रूप से यह दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, जिसके बाबत विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि 30 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज के प्रमाणित हो जाने पर उसके रजिस्टर्ड नहीं होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम की जावेगी, जब तक कि उसका सीधे साक्ष्यों द्वारा खण्डन न हो। द्वितीय उक्त दस्तावेज का फर्जी होना किसी न्यायालय में प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष उस दस्तावेज के फर्जी होने का कोई प्रमाण पेश किया गया है। इसके अलावा वादी का कब्जा प्रमाणित हुआ है अतः राजस्व मण्डल ने नजीर के प्रकरण के प्रतिवादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं माना तथा अपंजीकृत विक्रयपत्र जो 30 वर्ष पुराना है उसे मान्यता दी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि इस प्रकरण में भी अपंजीकृत दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है, रेस्पोडेंट ने इसे फर्जी साबित नहीं किया है तथा मौके पर कब्जा है जिसको रेस्पोडेंट भी इन्कार नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह बेचाननामा तत्समय प्रचलित स्टांप ड्यूटी के हिसाब से 600 रु. के स्टांप पर निष्पादित किया गया है केवल भूल से पंजीबद्ध नहीं हो पाया। इसके अलावा रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन पत्र प्रदर्श–3, घोषणा पत्र अण्डर सैक्शन 17(2)(बी) प्रदर्श–4 भी पेश हुआ है। अतः इस 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को मान्यता प्रदान नहीं की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार इस दस्तावेज को मान्यता दी जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। दूसरी ओर रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने न्याययिक दृष्टांत 2017(2) आर.आर.टी. 1100 पेश कर तर्क दिया कि इस प्रकरण में अनरजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं एडवर्सपजेशन के आधार पर दावे को आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत विधि द्वारा बाधित माना है। अतः इस प्रकरण में भी वादिया अनरजिस्टर्ड

2/7/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचान नामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारिणी नहीं हैं अतः रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने दावा खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि यह अनरजिस्टर्ड बेचाननामा केवल डिफेंस में काम लिया जा सकता है।

हमने माननीय राजस्व मण्डल की उक्त दोनों नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया व बारीकी से अध्ययन किया। अपीलांट अधिवक्ता की नजीर इस तथ्य पर जोर देती है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि 30 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज के प्रमाणित हो जाने पर उसके रजिस्टर्ड नहीं होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम की जावेगी, जब तक कि उसका सीधे साक्ष्यों द्वारा खण्डन न हो। जबकि रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की नजीर में यह माननीय राजस्व मण्डल ने विवेचन किया है कि" After carefull scrutiny of the file and record, it is amply clear that the revenue suit filed by Sujaram before trial court is based on unregistered agreement for sale and other plea taken is as regards adverse possession for grant of jhatedari rights on the disputed land" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेंट अधिवक्ता की नजीर में विक्रय के लिए एग्रीमेंट हुआ है विक्रयपत्र नहीं हैं व एग्रीमेंट भी पंजीकृत नहीं हैं तथा दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों के लिए पेश हुआ है। लेकिन इस प्रकरण में दावा 30 वर्ष पुराने बेचाननामे अर्थात विक्रय पत्र जिस पर स्टांप ड्यूटी पूरी अदा की जा चुकी है भूल से वह पंजीकृत नहीं हो पाया जिसके आधार पर व भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए दावा किया गया है एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा नहीं किया गया है। अतः रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। बेचाननामे की भावना व बेचान में यह अंकन कि बेचान की गई आराजी का प्रतिफल 8800 रु खरीददार से नकद वसूल पा लिए हैं तथा विक्रय पत्र 600 रु. की स्टांप पर लिखा गया है। जिसके साथ पंजीयन कराने के लिए आवेदन व घोषणा पत्र अण्डर सेक्शन 17(2)(बी) भी हैं। इस प्रकार यह पक्षकारान के अनपढ़ होने व भूल से पंजीयन नहीं होने का मामला है। अतः वादिया का मामला सही प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता की नजीर को मान्यता देते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बेचाननामे को उक्त विवेचन अनुसार 30 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज को अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया है व उसका सीधे साक्ष्यों से रेस्पोडेंट के द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है अतः दावे में प्रस्तुत बेचाननामा रजिस्टर्ड नहीं होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम की जाती है। वादिया ने विद्युत बिल इत्यादि पेश किए हैं जिन्हें बयानों से तस्दीक कर प्रदर्शित कराया है अतः इन पर खसरा नंबर अंकित होना आवश्यक नहीं हैं। इस विक्रय पत्र के आधार पर वादिया खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारिणी पाई जाती है एवं

27/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने की भी अधिकारिणी है। अतः उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर विस्तृत विवेचन उपरांत अपीलांट वादिया की अपील स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किया जाने एवं वाद स्वीकार योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2008 एवं डिक्री दिनांक 27.02.2017 खारिज की जाती है। अपीलांट वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नं. 902/1 रकबा 8 बीघा की अपीलांट/वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त भूमि में अपीलांट/वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

27/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00234)

अपील संख्या 15/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.श्रीमती कमलादेवी पत्नी दीनानाथ पुत्री बीजनाथ जति नाथ,निवासी पिचियाक,तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।	बनाम	1.भभूतराम पुत्र शेराराम, 2.मलाराम पुत्र शेराराम के कायम मुकाम 2/1 कमला पुत्री मलाराम, 2/2 मीरा पुत्री मलाराम, 2/3 लीला पुत्री मलाराम, 2/4 कौशल्या पुत्री मलाराम, 2/5 संतोष पुत्री मलाराम, 2/6 मंगलाराम पुत्र मलाराम, 2/7 पुखराज पुत्र मलाराम, जातियान सीरवी निवासीगण बेरा काबल,हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 3.दईराम पुत्र केसाराम के कायम मुकाम 3/1 दाखूदेवी पत्नी दईराम, 3/2 मोहनलाल पुत्र दईराम, 3/3 कल्याणसिंह पुत्र दईराम, 3/4 माधवराम पुत्र दईराम, 3/5 सुशीला पुत्री दईराम, 3/6 इन्द्रा पुत्री दईराम, जातियान सीरवी निवासीगण बेरा काबल,हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 4.जगदीशराम पुत्र तुलछाराम, 5.गोविन्दराम पुत्र तुलछाराम, 6.किनू पुत्री तुलछाराम, 7.पानी पत्नी तुलछाराम, 8.हरीराम पुत्र पूनाराम, 9.राजूराम पुत्र पूनाराम, 9ए तुलछी पत्नी पूनाराम, 9बी इन्द्रा पुत्री पूनाराम, 10केनाराम पुत्र लालाराम, 11.गजाराम पुत्र लालाराम, 12.हिणगारी पुत्री लालाराम, 13.दाखूडी पत्नी लालाराम, जातियान सीरवी निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.5.2008 एंव डिक्री दिनांक 27.02.2017 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 51/2007

यह अपील बतारीख 27/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/7,4 से 9ए,10 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/6 व 9बी बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बिलाडा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2008 एवं डिक्री दिनांक 27.02.2017

27/8 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खारिज की जाती है। अपीलांट वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं.ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नं.902/1 रकबा 8 बीघा की अपीलांट/वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। कि उक्त भूमि में अपीलांट/वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 27/8/2018 को जारी हो किया गया।

27/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

27/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर